भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या – 21
(जिसका उत्तर मंगलवार, 08 जुलाई, 2014 को दिया गया)

विभिन्न कंपनियों द्वारा किए जा रहे कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी क्रियाकलापों पर अक्सर पूछे गए प्रश्न

***21. श्रीमती अम्बिका सोनी :**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) संबंधी क्रियाकलापों पर अक्सर पूछे गए प्रश्नों (एफ.ए.क्यू.) की विस्तृत सूची जारी करने का विचार रखती है;
(ख) यदि हां, तो ये दिशा-निर्देश कब तक तैयार हो जाएंगे;
(ग) क्या कंपनियों द्वारा समाज कल्याण पर किए गए खर्च पर कोई कर संबंधी लाभ दने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति के संरक्षण का कार्य करने वाली तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पारम्परिक कला एवं हस्तशिल्प आदि का संवर्धन और विकास करने वाली ग्रामीण विकास परियोजनाओं को शामिल करने के वास्ते कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के दायरे को बढ़ाने का विचार रखती है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक अंतिम रूप प्रदान कर दिया जाएगा?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) से (ड.): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

“विभिन्न कंपनियों द्वारा किए जा रहे कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी क्रियाकलापों पर अक्सर पूछे गए प्रश्न” से संबंधित दिनांक 08 जुलाई, 2014 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 21 के उत्तर के भाग (क) से (ड.) में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) : विभिन्न पक्षकारों से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची-VII और उसके तहत बनाए गए नियमों में अधिदेशित कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के प्रचालन के बारे में स्पष्टीकरण मांगने संबंधी अनेक प्रतिवेदनों की प्राप्ति पर, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 18 जून, 2014 को स्पष्टीकरणों की एक श्रृंखला देते हुए एक परिपत्र जारी किया है। इस परिपत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि अनुसूची-VII के अनुसार किसी कंपनी द्वारा किए जाने हेतु अपेक्षित कार्यकलापों की उदार व्याख्या की जाए। इस परिपत्र को मंत्रालय की वेबसाइट (http://www.mca.gov.in) पर सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है। फिलहाल इस विषय पर मांगे गए स्पष्टीकरणों का समाधान हो गया है। भविष्य में प्राप्त होने वाले प्रश्नों के प्रकृति के आधार पर ‘अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न’ अथवा मार्ग-निर्देश शुरू करने के विषय पर भी विचार किया जा सकता है।

(ग) : अभी विनिर्दिष्ट कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलापों पर किए जाने वाले व्यय पर किसी प्रकार की विशिष्ट कर छूट नहीं गई है, किंतु प्रधानमंत्री राहत कोष में अंशदान, वैज्ञानिक अनुसंधान, ग्रामीण विकास परियोजनाओं, कौशल विकास परियोजनाओं, कृषि विस्तार परियोजनाओं आदि, जिन्हें अनुसूची-VII में रख गया है, जैसे कई कार्यकलापों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के तहत छूट प्राप्त है।

(घ) और (ड.) : प्रश्न के भाग (घ) में उल्लिखित सभी कार्यकलाप अनूसूची-VII में शामिल हैं।

*****